

14

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3( )आ.क./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2019-20/

दिनांक :

सहायक निदेशक,  
कृषि (विस्तार),  
.....।

विषय : आवंटित बजट का उपयोग करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपके कार्यालय की मांग अनुसार बजट शीर्ष 2401-00-197-04-01 के अन्तर्गत बजट मद 04-चिकित्सा व्यय में निम्न तालिका अनुसार बजट आवंटित किया गया था, परन्तु IFMS पर दिनांक 04.03.2020 की स्थिति के अनुसार आपने उक्त बजट का उपयोग नहीं किया है।

(राशि रूपयों में)

S.No	IFMS Code	Office	04-चिकित्सा व्यय		
			आदिनांक आवंटन	आदिनांक व्यय	शेष राशि
1	17820	ASSTT.DAG (EXT.), GULABPURA	174000	0	174000
2	3532	ASSTT.DAG (EXT.), CHHATARGARH	178000	8070	169930
3	16416	ASSTT. DAG (EXT.), KOTRI	157000	0	157000
4	22304	ASSTT.DAG (EXT.), BHILWARA	153000	79625	73725
5	6743	Asstt. Dir. Agri. (EXT.), SIKAR	87000	16530	70470
6	6768	Asstt. Dir. Agri. (EXT.), Jhalawar	100000	52749	47251
7	5569	ASSTT.DAG (EXT.) SANGANER	204500	165100	39400
8	4378	ASSTT.DAG (EXT.) AJMER	250000	213898	36102
9	22314	ASSTT.DAG (EXT.), SHRIMADHOPUR	278000	251476	26524
10	22305	ASSTT.DAG (EXT.), CHITTORGARH	100000	78720	21280
11	4557	ASSTT.DAG (EXT.), GIRWA( UDAIPUR)	173940	153934	20006
12	5191	ASSTT.DAG (EXT.) SAWI MADHOPUR	20000	950	19050
13	22259	ASSTT.DAG (EXT.), TONK	325000	313925	11075
Total			2200440	1334977	865813


अतः उपलब्ध बजट का दिनांक 16.03.2020 तक उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावें, अन्यथा यह मानते हुए कि आपके कार्यालय द्वारा आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया जायेगा। दिनांक 17.03.2020 को उक्त बजट समर्पित कर अन्य कार्यालयों को उनकी मांग अनुसार आवंटन कर दिया जावेगा, ताकि बजट का उपयोग संभव हो सके।

ह.  
(सिरमौर मीना)  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : प.3( )आ.क./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/2019-20/ 1493-1507 दिनांक : 6/3/20

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान, मुख्यालय जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को कृषि विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(सिरमौर मीना)  
वित्तीय सलाहकार